प्रारूप – एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

क्रमांक: 589 दिनांक: 06/07/2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है अर्थातः–

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
सूरजपुर	**भैयाथान**	**पासल**	**1.010 हेक्टेयर**	**जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सूरजपुर द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु, लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण बाबत भू–अर्जन**

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 15/01/2021 को समय प्रातः 11.00 बजे स्थान प्राथमिक शाला भवन ग्राम पासल पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है:–

(एक)	लोक प्रयोजन का सक्षिप्त विवरण	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सूरजपुर द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु, लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण बाबत भू–अर्जन
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवार की सख्या	10
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित की संख्या	10
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पतियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पतियों की अनुमानित संख्या	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है	हॉ
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इनकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है	हॉ
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	163 करोड़ रूपये
(नौ)	परियोजना से होने वाले लाभ	विद्युत उत्पादन, राजस्व वृद्धि एवं श्रम नियोजन के साथ–साथ जन सामान्य के जीवन गुणवत्ता स्तर में वृद्धि, रोजगार के अवसर बढ़ेगे, स्थानीय व्यवसायों के लिए बाजार का उदय, भूजल स्तर में वृद्धि संभावित, मत्स्य पालन भी किया जा सकेगा।
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अनुसूची 2 में निहीत तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर बतायें गए उपायों का पालन किया जावेगा। संभावित व्यय – रूपये 5.00 लाख या वास्तविक व्यय जो अधिक हो।
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो, तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
भैयाथान, जिला सूरजपुर

कलेक्टर
जिला सूरजपुर (छ0ग0)